डॉ. मधु रानी तेवतिया, भा.प्र.से. भूमि तथा विकास अधिकारी

DR. MADHU RANI TEOTIA, IAS Land & Development Officer



भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भूमि तथा विकास कार्यालय निर्माण भवन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
LAND AND DEVELOPMENT OFFICE
NIRMAN BHAWAN

नई दिल्ली - 110011, तारीख

NEW DELHI - 110011, Date the 13-10-2022

D.O. No. F-28011/07/2022 - CDN

Dear Madam / Sir,

As you may be aware, Land and Development Office (L&DO) administers and maintains records of all Nazul lands acquired in 1911 for the formation of Capital at Delhi and land comprising Rehabilitation Colonies. L&DO, as part of its initiative to bring about transparency in its working, as well as obviate human interface and restrict time frame in disposal of cases, has already started online application services for substitution, mutation, conversion, gift permission, sale permission & mortgage permission. These services can be accessed on www.ldo.gov.in.

- 2. Further, it is our endeavour to keep the land records of all the land owners updated and to grant a clear title of land. In this regard, L&DO has launched the following online services for quite some time now:
 - i. A process to integrate the legacy data i.e. lease details, maps and the lease plan in the Management Information System (MIS). Details of each property, including ownership, can be accessed by all on L&DO portal i.e. www.ldo.gov.in through e-Dharti portal. The lessee can view the details of his property and if there is any discrepancy in property details, the lessee can furnish inputs through feedback option or apply to this office to correct the record.

ii. Issuance of Property Certificate containing the property details and outline map of the property. It is a document for Record of Rights. It may be viewed online and can be obtained by the Lessee/ Vendee, as the case may be, on nominal fee of Rs. 1000/- per application.

- To update the land records of freehold property as well as per Office Order No. 8/2019 and 03/2021 respectively which are already available on the website of this Office. It helps in updating the records of land owning agency as well as give title to the present owner besides bringing about transparency and uniformity in property transactions. The pre-conversion dues, if any, will be recovered at the time of updation of land records.
- 3. You are requested to utilize these online services as well as e-Dharti Geo Portal and provide us feedback so that land records are updated and each land owner has a clear title of land.
- 4. For any further query, you may contact this Office at Phone No.011- 2306 2871.

Regards,

Yours Sincerely,

(Dr. Madhu Rani Teotia)

To.

All Lessees/ Vendees

डॉ. मधु रानी तेवतिया, भा.प्र.से. भूमि तथा विकास अधिकारी

DR. MADHU RANI TEOTIA, IAS Land & Development Officer



भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भूमि तथा विकास कार्यालय निर्माण भवन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS
LAND AND DEVELOPMENT OFFICE
NIRMAN BHAWAN

नई दिल्ली - 110011, तारीख 13-10-2022

NEW DELHI - 110011, Date the अ.शा.सं. एफ-28011/07/2022-समन्वय

प्रिय महोदया / महोदय,

जैसा कि आपको विदित होगा, भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) 1911 में राजधानी दिल्ली के निर्माण हेतु अधिग्रहीत सभी नजूल भूमि और पुनर्वास कालोनियों की भूमि के रिकार्ड को अभिशासित और उनका रख रखाव करता है। भूमि तथा विकास कार्यालय ने इसके संचालन में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ मामलों के निपटान में मैन्युअल संचालन को कम करने और समय सीमा को प्रतिबंधित करने की पहल के रूप में प्रतिस्थापन, नामांतरण, संपरिवर्तन, उपहार अनुमित, बिक्री अनुमित और बंधक अनुमित के लिए पहले ही आंनलाइन आवेदन सेवाएं आरम्भ कर दी हैं। ये सेवाएं www.ldo.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं।

- 2. इसके अलावा, हमारा सभी भू-स्वामियों के भूमि रिकार्ड का अद्दतन करने और भूमि का स्पष्ट मालिकाना हक प्रदान करने का प्रयास होगा। इस संबंध में, भूमि तथा विकास कार्यालय ने अभी कुछ समय से निम्नलिखित ऑन-लाइन सेवाएं आरम्भ की हैं:
- i वसीयत आकडों अर्थात प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम आई एस) में पट्टा विवरण, मैप और पट्टा प्लान को समेकित करने की प्रक्रिया। सभी द्वारा स्वामित्व सिहत प्रत्येक संपित का विवरण भूमि तथा विकास कार्यालय के पोर्टल अर्थात ई-धरती पोर्टल के माध्यम से www.ldo.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। पट्टाधारी अपनी संपित का विवरण देख सकते हैं और यदि संपित विवरण में कोई विसंगति है तो फीडबैक विकल्प के माध्यम से इनपुट दे सकता है अथवा इस रिकार्ड को ठीक करने के लिए इस कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
- ii. संपति विवरण और संपत्ति का आउट लाइन मैप के साथ संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करना। यह रिकार्ड ऑफ राइट हेतु दस्तावेज है। यह ऑन लाइन देखा जा सकता है तथा पट्टाधारी/क्रेता-द्वारा जो भी मामला हो 1000/- रुपए प्रति आवेदन के नाम मात्र शुल्क पर प्राप्त किया जा सकता है।
- iii. फ्रीहोल्ड संपति के भूमि रिकार्ड का अद्दतन करने के साथ कार्यालय आदेश सं क्रमशः 8/2019 और 03/2021 जो इस कार्यालय की वेबसाइट पर पहले से ही उपलब्ध है। यह संपति के लेन-देनों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के अलावा भू-स्वामित्व एजेन्सी के रिकार्ड का अद्दतन करने के साथ मौजूदा मालिक को स्वामित्वाधिकार देने में सहायता करता है। पूर्व-संपरिवर्तन यदि कोई देय हों तो भूमि रिकार्ड के अद्दतन के समय वसूल किए जाएंगे।
- 3. आपसे अनुरोध है कि इन ऑनलाइन सेवाओं के साथ-साथ ई-धरती जियो पोर्टल का उपयोग किया जाए और हमें फीडबैक दें ताकि भूमि रिकार्ड का अद्दतन किया जाए और प्रत्येक भू-स्वामी के पास भूमि का स्पष्ट स्वामित्वाधिकार हो।
- 4. और किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आप इस कार्यालय के फोन ने 011-23062871 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

सेवा में.

सभी पट्टेदार/क्रेता

(डॉ. मध् रानी तेवतिया)